

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

बनाम

हेसराम

पृथ्वी सिंह आदि

दावा बाबत :- 88 RTACT

मुकदमा नम्बर :- 266/2021

निर्णय दिनांक :- 6-12-2021

वादी की ओर से वकील सरजीत सिंघारिया की व प्रतिवादी सं० 1, 2, 3 की ओर से वकील मुन्शीराम चौधरी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 6-12-2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि रोही भोजा नुंवा के खता सं० 121/116 के खसरा सं० 493/361 की 7.0310 है, खसरा सं० 500/288 की 0.2660 है, खसरा सं० 501/288 की 2.9970 है कुल 10.2940 है वरानी लक्ष्मी में प्रतिवादी सं० 1 पृथ्वी सिंह के नाम 10.108 है जिसका रजिस्ट्रार के दफ्तर में है व प्रतिवादी सं० 1 पृथ्वी सिंह के वजारे वादी हेसराम व प्रतिवादी सं० 1 पृथ्वी सिंह, प्रतिवादी सं० 2 रामप्रताप, प्रतिवादी सं० 3 रोजे अकृणार, प्रतिवादी सं० 4 महेंद्र सिंह को बहिस्सा करवाकर के खातेदार का इलाकार घोषित किया जावे है - चूंकि प्रतिवादी सं० 5 ने अपना सम्पूर्ण दफ्तर व बहिस्सा वादी व प्रतिवादी सं० 1 ता 4 के पक्ष में त्याग कर चुका कर लिया है इसलिए त्याग किया गये हिस्से पर पंजीयन किया जावे कि पंजीयन अन्तर्गत अद्य करके व यदि लक्ष्मी मुक्ति से 10 के खता हो तो खता नुंवा होने के उपरान्त ही राजस्व रिबाउट में अपन करामत किया जावे / रादीनामा की डिक्री का माता पढा जावे

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 6-12-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)
 (पिठसीन अधिकारी) R.A.S.
 सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
 भादरा, जिला हनुमानगढ़
 कैम्प